

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

परिशिष्ट -13

भूमि- भवन प्रमाण पत्र प्रारूप

क्रमांक ✓ 94

द्वारा तहसील/नगरपालिका/नगरनिगम/विकास प्राधिकरण

दिनांक 27/5/22

सेवामें
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर

विषय: भूमि-भवन प्रमाण पत्र

श्री. मोहन लाल परियार दत्त - न्यास द्वारा (समिति का नाम) द्वारा निवेदन करने पर मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि दस्तावेजों व भवन की जांच की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

1. भूमि का पता : वार्ड नं. (6)

2. अवस्थिति

	जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण) क्षेत्र	अन्य सम्भागीय मुख्यालय (संभागीय मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	शहरी निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक)	अन्य समस्त क्षेत्र
खसरा नंबर				316	
भूमि का वर्ग मीटर माप				26324.3	
भूमि का प्रकार यथा शैक्षणिक / संस्थागत / आवासीय / वाणिज्यिक / कृषि भूमि				शैक्षणिक संस्थागत	

जमाबंदी अनुसार समिति के नाम रिकॉर्ड में दर्ज उक्त खसरा संख्या/संख्याओं की भूमि मीके पर एकजुट/लगायत है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि वर्तमान में

श्री. मोहन लाल परियार दत्त - न्यास (समिति का नाम) समिति के नाम दर्ज है।

(निम्न में से जो लागू न हो उसे काट दें)

1. उक्त भूमि पर संस्था का स्वयं का प्रस्तावित/संचालित महाविद्यालय का भवन स्थित है।

अथवा

2. उपर्युक्त भूमि व संस्था द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय का किराए का भवन एक ही तहसील सीमा में स्थित है।

तहसीलदार/सहायक अधिकारी
(हस्ताक्षर, नाम व पद का उल्लेख)

33

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

अक्षर

शुभानु (राज.)